जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–12/2022/डी–1587 दिनांक 27-6-2022

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी के भूखण्ड संख्या 1 (सेन्ट्रल पार्क/नोर्थ ऐवेन्यू–बी/20 लेन) का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	1 (सेन्ट्रल पार्क/नोर्थ ऐवेन्यू–बी/20 लेन)	584.90	वाटिका इन्फोटेक सिटी	श्रीमती अनुसुईया व्यास	1. श्री संजय नाथावत पुत्र श्री आर.के. नाथावत (मृत्यू प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर)	श्री संजय नाथावत पुत्र श्री आर.के. नाथावत निवासी 61–जनकपुरी–II, ईमलीवाला फाटक, जयपुर

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. श्री संजय नाथावत पुत्र श्री आर.के. नाथावत निवासी 61–जनकपुरी–II, ईमलीवाला फाटक, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

PRO 28/6/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी–1851 दिनांक 28/6/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ए–69	पर्ल रिंगेलिया	श्री कपिल गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता	अभय कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्रीमती हेमलता सिंह पत्नी श्री अभय कुमार सिंह	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने बाबत।

उपायुक्त, जोन–8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–8

PRO R-766 28/6/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी–1947 दिनांक :– 27/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.–57	परसराम नगर स्कीम नम्बर–3 (मित्र गृ.नि.स.स.)	श्रीमति शारदा देवी पत्नी श्री राजकिशोर शर्मा	श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री मोहन लाल	अनुमोदित मानचित्र मे सृजन व मृत्यु के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बन्ध मे।
2.	भू.सं.–02	फतेह नगर (सिंधु नगर गृ.नि.स.स.)	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतर सिंह	श्री चतर सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह	अनुमोदित मानचित्र मे सृजन के सम्बन्ध मे।
3.	भू.सं.–26	यादव नगर (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)	श्रीमति संतोष यादव पत्नी श्री धर्मवीर यादव	श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री घासीराम यादव	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे भिन्नता के सम्बन्ध मे।

sd–

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-753
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–6 / 22 / डी– 1911 दिनांक :– 24/6/22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.–158	तारा नगर–ए (म्युचुअल हाउसिंह कॉ–ऑपरे.सो.)	श्रीमति कृष्णा कंवर पत्नी श्री वीरेन्द्र नरुका	श्रीमति शिवप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	भूखण्ड का हस्तान्तरण एक से अधिक बार होने के कारण

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

PRDR-754
28/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):
ई-मेल : (rajasthan.gov.in)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 27/6/22

कमांक:एफ( ) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1783

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लीजडीडधारक का नाम	आवास संख्या	निजी खातेदारी योजना का नाम	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
कविता शर्मा पुत्री स्व. श्री गोविन्द नारायण शर्मा	एम–2/जीएफ/3	सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स लि.	नन्दिनी शर्मा पुत्री श्री महेश शर्मा	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PR-755
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 27/6/22

कमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1775

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	निजी खातेदारी योजना का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्री रामस्वरूप सराफ पुत्र श्री हरिराम सराफ, बिसाउ गेट के पास, रामगढ सेठान, सीकर, राजस्थान 331024	642	ओमेक्स सिटी	आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर लीजडीड हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु जोन में उपलब्ध उक्त दस्तावेजों की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO R-74
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(आई.डी. 21 व 21 बगरूखुर्द) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी-1772 दिनांक 27/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्डधारी का नाम	रोज पुनर्वास योजना ग्राम	किस्म	भूखण्ड संख्या	आवेदक का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्री जीवणराम, गोपाल, रामलाल पि. गोविन्दा,	बगरूखुर्द	आवासीय	1718	गोपाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम हि. 1/3, रामलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम हि. 1/3, लल्लूराम पुत्र जीवणराम हि. 1/15, श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल व अक्षित पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जरिये सरंक्षिका माता राधा देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल हि.ब. 1/15, बंशीलाल पुत्र जीवणराम हि. 1/15, अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कजोडमल हि. 1/15, प्रभुदयाल पुत्र स्व. श्री जीवणराम हि. 1/15, ग्राम बगरूखुर्द, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण
	बगरूखुर्द	आवासीय	1609		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1183		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1230		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1208–री		
	बगरूखुर्द	आवासीय	1604		
	बगरूखुर्द	आवासीय	1704		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1206		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1234		
	बगरूखुर्द	व्यावसायिक	1174		

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-757
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी– 1770 दिनांक 27/6/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कालूराम यादव, शंकरलाल यादव पुत्रान स्व. श्री हनुमान सहाय यादव द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2014 एवं मूल खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र, व उनके सजरा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र आधार पर पर रिंग रोड परियोजना मुहाना के भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

भूखण्ड संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल व.मी. में
11/ID/124	मुहाना	1250
11/ID/28	मुहाना	627
11/OD/A149	मुहाना	100
11/OE/301	मुहाना	12.50
11/ID/200	मुहाना	12.50
11/ID/256	मुहाना	12.50

उपरोक्त रिंग रोड परियोजना ग्राम मुहाना के भूखण्डों का आवंटन पत्र एवं लीजडीड जोन द्वारा पूर्व में खातेदार श्री हनुमान पुत्र लालू के पक्ष में जारी की गयी थी।

खातेदार श्री हनुमान पुत्र लालू के मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत वसीयत, सजरा प्रमाण पत्र के पश्चात श्री कालूराम यादव, श्री शंकरलाल यादव पुत्रान स्व. श्री हनुमान सहाय यादव को रिंग रोड परियोजना के ग्राम मुहाना के उपरोक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना जारी दिनांक से 7 दिवस की अवधि में हक हुकूक स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार क्रेता/हस्तान्तरिती के हक में नाम हस्तानानतरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

यह सूचना दिनांक 27/6/2022 को जारी गई है।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री कालूराम यादव, शंकरलाल यादव पुत्रान स्व. श्री हनुमान सहाय यादव निवासी– ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

PRO/R-758 28/6/22

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 27/6/22

कमांकः— जविप्रा / उपा / जोन—11 / 2022 / डी —1769

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना ''शिवांक इन्फोटेक सिटी'' के निम्न भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री अनुपम सोमानी	सी—47	100.00

उक्त भूखण्ड संख्या सी—47 की लीजडीड दिनांक 23.06.2016 को श्री रतनलाल सोमानी पुत्र श्री मदनलाल सोमानी को जारी किया गया है श्री रतनलाल सोमानी पुत्र श्री मदनलाल सोमानी कि मृत्यु दिनांक 11.01.2019 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्री रतनलाल सोमानी के वारिसान श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल एवं श्रीमती अर्पणा मालपानी पत्नी श्री अजय मालपानी पुत्री स्व. श्री रतनलाल सोमानी के द्वारा उक्त भूखण्ड के लिये श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति / संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति / आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन—11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतनलाल सोमानी निवासी—978, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा. जयपुर

PRO/R—759
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ(ग्राम कलवाडा आई.डी. 291 राजदरबार) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी-1777 दिनांक 27/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की रोज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105892	ग्राम कलवाडा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 61 से 66, 71 से 75, 77 से 81 क्षेत्रफल 7850 वर्गमीटर के बदले देय आवासीय 1570 वर्गमीटर व व्यावसायिक 392 वर्गमीटर कुल 1962 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 15 दिनांक 2.1.2009 के द्वारा श्री खेमराज पुत्र श्री नेमीचंद को जारी किया गया था।	ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) के आवासीय भूखण्ड संख्या 325 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर	(1) श्री राजेश नवाल पुत्र श्री विजय शंकर नवाल (2) श्री रेवती रमन शर्मा पुत्र श्री रामकृष्ण शर्मा (3) श्री आशीष बघेल पुत्र श्री रामदयाल जरिये मुख्त्यारआम श्री सुनील टाटीवाला पुत्र श्री सुरेश टाटीवाला	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-760
28/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2022 / डी– दिनांक :

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

प्रार्थीया श्रीमती नीति सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह डागुर भूखण्ड संख्या 65 श्री गोपाल नगर के नाम हस्तान्तरण पत्र जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.2.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या–iv के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर प्लाट नं. 66, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 64, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या–90 एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 फीट रोड स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव उपायुक्त जोन–5 जविप्रा,जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक .... को जारी की गई।

सचिव
जविप्रा,जयपुर

1759
21/6/22

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा जयपुर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

PRO R-762
28/6/22

उपायुक्त जोन–5
जविप्रा,जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2022 / डी– 1760   दिनांक :– 21-6-22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	514 (दक्षिणी भाग)	शांति नगर	श्री घनश्याम लाल मेनारिया पुत्र श्री घनश्याम लाल मेनारिया	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	103285	119	निर्माण नगर सी	श्रीमती कविता चतुर्वेदी पत्नी स्व. श्री संजय चतुर्वेदी	श्री रांजय चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री चतुर्भुज चतुर्वेदी	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
3.	109170	36 ए	स्कीम नं. 11 अर्जुन नगर	श्रीमती कृष्णा देवी घीया पत्नी स्व. श्री कैलाश प्रसाद घीया	श्री कैलाश प्रसाद घीया पुत्र श्री रामजी लाल घीया	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
4.	107674	ए–3	राधा विहार	श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल	श्री केदार नाथ पुत्र श्री राम नारायण सैनी	अपंजीकृत इकरारनामा
5.	90502	539	शांति नगर	श्री सुरेन्द्र संघी पुत्र स्व. श्री सरदार मल संघी एवं श्रीमती नीरा संघी पत्नी श्री सुरेन्द्र संघी	श्री शिवदयाल गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप खण्डेलवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः– 1760 21-6-22

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

PRO/R-761 22/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–12/2022/डी– 1593 दिनांक 28-6-2022

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार श्री हरिनारायण पुत्र श्री नानूराम जाति यादव निवासी 51, जयपुरियों का बाढ, सिरसी, जयपुर राज. व श्री जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री नानूराम यादव जाति यादव निवासी 51, जयपुरियों का बाढ, सिरसी, जयपुर राज. द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास 2015 प्रोविजन 3सी उपयोग के स्थान पर सामान्य आवासीय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हैक्ट.)	90ए से पहले का स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
तहसील जयपुर जिला जयपुर	जयपुरियो का बास	75/3	0.9738	जगदीश पुत्र नानू हरिनारायण पुत्र नानू	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल किता 1	0.9738 हैक्ट.		

अतः उक्त भूमि का उपयोग मुख्यमंत्री जन आवास 2015 प्रोविजन 3सी उपयोग के स्थान पर सामान्य आवासीय में अनुमोदन किये जाने के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-6-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन–08/2022/डी–1819 दिनांक 24/6/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारीसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण **नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना न्यू सचिवालय विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ति हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90–क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
कल्याणपुरा तहसील सांगानेर	374 से 385	3.57 है0	घासीराम, जगदीश, प्रताप, बजरंग लाल पुत्रान श्रवण हि. 1/5, जगदीश, प्रभात, भागचंद, भौमा राम, मूलचंद, सुरधाराम पुत्रान मोहन व धापू पत्नी मोहन हि. 1/5, तेजा, पांचू, बल्ला पुत्रान रामनाथ हि. 3/5 जाती माली सा.देह खातेदार

DDJB-751 23/6/22

Scanned with CamScanner

[illegible]

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-4,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 27-6-2022

संख्या 1944

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ.नि.स.स** की योजना **श्याम कुंज–ए** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
चरणनदी तहसील जयपुर।	112/1	0.2276 हैक्ट.	गेंदी पत्नी स्व. श्री मोहरी लाल हि. 1/2, नारायण सहाय पुत्र धन्नालाल हि. 1/8 बद्रीनारायण पुत्र धन्ना लाल हि. 1/8 भगवती सहाय पुत्र धन्नालाल हि. 1/8 सीताराम पुत्र धन्नालाल हि. 1/8 जाति ब्रहामण सा.देह
	113	0.2529 हैक्ट.	
	142	0.1770 हैक्ट.	

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 27-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन 06
जविप्रा, जयपुर

PRO R-752
28/6/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 27-6-2022

संख्या 1941

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ.नि.स.स** की योजना **कृष्णा कॉलोनी–चतुर्थ** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तहसील जयपुर।	1016	0.1518 हैक्ट.	तेजा पुत्र गोपाल जाति रैगर सा.देह खातेदार
	1018	0.3035 हैक्ट.	गोपीनाथ पुत्र मोहन लाल जाति महाजन सा.देह खातेदार
	1030	0.4426 हैक्ट.	रघुनाथ पुत्र श्योबक्श हि. 1/3 रामचन्द्र पुत्र श्योबक्श हि. 1/3, गोपाल पुत्र श्योबक्श हि. 1/3, जाति रैगर सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 27-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जविप्रा, जयपुर

PRO/R-753
28/6/22

Scanned with CamScanner

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101929 दिनांक: 28/06/2022

लोक सूचना

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बेरीसाल जाति मीणा सा.देह.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा बारा भांकरोटा सांगानेर (जयपुर)	**श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बेरीसाल जाति मीणा सा. देह.**	1335 / 1278	7734	रकबा 0.9671 हैक्ट में से रकबा 0.7734
			1337 / 145	1266	0.1266
				कुल	**0.90**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **28-06-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner